कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone/Fax 05965-230180 Email-dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 907 / 12-1 दिनांक, चम्पावत 13-9- 2022।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
लोहाघाट।

विषय :– जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 629 / FP / UK / ROAD / 42256 / 2019 दिनांक 01.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर शीध्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराये। जिससे प्रकरण ससमय उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सकें।

भवदीय,

Randpl

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

O/C

11:19:42 AM

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 629 / FP/UK/ROAD/42256/2019 :देहरादूनः दिनांकः 01/9/अगस्त, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–आपका पत्रांक 560/12–1 (2) दिनांक 03.08.2022।

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में ऑनलाईन के माध्यम से चाही गयी सूचना प्रेषित की गयी है। प्रेषित की गयी सूचना अपूर्ण है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक 336 दिनांक 04.08.2021 में चाहे गये बिन्दुओ की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उपरोक्तानुसार प्रेषित की गयी सूचना में निम्न प्रकार अपूर्णतायें पायी गयी हैं:–

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की KML file की सी0डी0 उपलब्ध नहीं करायी गयी है। KML file में वास्तविक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल नहीं दर्शाया गया है। प्रतीत होता है कि KML file में अपलोड सी0ए0 क्षेत्र (18 है0) किसी अन्य परियोजना का है। वास्तविक सी0ए0 क्षेत्र की KML file अपलोड करने का कष्ट करें।
2. प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में 18 चीड वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। साथ ही प्रश्नगत परियोजना में वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहें हैं के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी दिया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।
3. प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–02 एवं भाग–03 संलग्न नहीं किये गये हैं।
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना एवं एन0पी0वी की धनराशि का निर्धारण वर्तमान दरों के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
5. प्रस्ताव बाईडिंग कर प्रस्तुत किया जाये।
6. उपरोक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक 336 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना भी उपलब्ध करायी जानी है।

अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.08.2021 वर्णित कमियों के साथ उपरोक्तानुसार बिन्दुओ का निराकरण संबधित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के स्तर से पूर्ण करते हुये अपनी संस्तुति सहित सूचना/आख्या इस कार्यालय को ऑनलाईन/ऑफलाईन 03 मूल प्रतियों में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।

संख्या :– 629 / FP/UK/ROAD/42256/2019 दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्ताव में इंगित कमियों के निराकरण कर सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से मूल प्रति में मय संलग्नकों के इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।